कुटेशन आमंत्रण

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–द्वितीय म0 प्र0 ग्वालियर कार्यालय के अधिकारियों के लिये निरिक्षणवाक हेतु सीलबंद कुटेशन आमंत्रित किए जाते हैं। विवरण निम्नानुसार है–

1. निविदा प्रपत्र विक्रय — दिनांक 24.07.2017 से 27.07.2017 तक
2. निविदा प्रपत्र प्राप्ति — दिनांक 28.07.2017 दोपहर 02 बजे तक.
3. निविदा खुलने की तिथि — दिनांक 28.07.2017 दोपहर 03 बजे.

कमांक	कार्य का नाम	अवधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य `	धरोहर राषि `
1.	A/c सिडान / इनोवा प्रकार के किराये पर वाहन	01.08.2017 – 31.07.2018	100 / –	10,000 / –

धरोहर राशि भुगतान एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), मध्य प्रदेश, ग्वालियर के पक्ष में देय एफ.डी.आर. के रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

निविदा से संबंधित समस्त जानकारी सहायक लेखा अधिकारी / कार्यपालन शाखा–द्वितीय अनुभाग से दिनांक 24–07–2017 से 27–07–2017 तक कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है। एवं कार्यालयीन बेवसाइट www.agmp.nic.in से भी प्राप्त की जा सकती हैं।

आज्ञा से

उप महालेखाकार (प्रशासन एवं पेंशन)
कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–द्वितीय,
लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर (म.प्र.)

नियम एवं शर्तें

1. वाहन का टैक्सी कोटे मे R.T.O. रजिस्ट्रेशन होना चाहिये एवं मॉडल 2015 से पुराना नहीं होना चाहिए।
2. वाहन माह के सम्पूर्ण दिनों (24 घंटे) के लिये परिस्थितियों/आवश्यकता अनुसार उपलब्ध रहना चाहिये।
3. वाहन का बाहरी एवं अन्दरूनी स्वरूप एवं कार्य क्षमता उच्च दर्जे की अधिकारियों के अनुरूप होनी चाहिये।
4. वाहन चालक के पास कामर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिये। वह किसी नशे का आदि न हो स्वस्थ हो एवं ड्यूटी के समय वर्दी में होना चाहिये।
5. वाहन चालक का वेतन एवं भत्ते निविदा कर्ता द्वारा देय होगें। वाहन चालक की लेवर डिपार्टमेन्ट से संबंधित समस्य देयतायें में भी निविदाकार की होगी।
6. विभाग को यह अधिकार होगा कि यदि वाहन चालक द्वारा अनियमितता या किसी प्रकार के दुरव्यवहार या कोई अन्य कारण से उसे निविदाकार को वापस करते हुये अन्य चालक की मांग कर सके।
7. किराये की दूरी कार्यालय/अधिकारी के निवास स्थान से प्रारम्भ होकर मानी जावेगी।
8. निविदा कार को 1500 कि.मी. प्रतिमाह की दर से अपने वाहन की दर प्रदान करनी होगी। यदि किसी माह वाहन 1500 कि.मी. नहीं चलता है तो अगले माह में शेष किलोमीटर उपयोग में लाये जा सकते है।
9. यदि किसी माह पूराने माह के देय हुए किलोमीटर को शामिल करते हुए 1500 किमी. से अधिक होते है तो प्रति किलोमीटर अतिरिक्त प्रभार दिया जावेगा जो कि निविदा में घोषित करना होगा।
10. यदि किसी माह में वाहन मुख्यालय (ग्वालियर) से बाहर जाता है तो वह भी 1500 किमी. में शामिल होगा किसी भी अन्य प्रकार का अतिरिक्त चार्ज देय नहीं होगा।
11. दरे एक बार सुनिश्चित होने के पश्चात सम्पूर्ण वर्ष के लिये प्रभावकारी रहेगी। दर किसी भी प्रकार के पैट्रोल/डीजल की मूल्य वृद्धी अथवा टैक्स में वृद्धी में लिये पुर्नरिक्षित नहीं की जावेगी।
12. सुधार कार्य/टूटफूट/इंश्योरेंस, रोड टैक्स/परमिट आदि का प्रभार निविदा कर्ता द्वारा देय होगा।
13. संविदा एक माह के पूर्व नोटिस द्वारा दोनो में से किसी भी पक्ष द्वारा समाप्त की जा सकेगी।
14. वाहन सीडान टाइप A/c होना चाहिए मोटर व्हीकल एक्ट के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की दुर्घटना की जिम्मेदारी वाहन चालक की होगी।

उप महालेखाकार (प्रशासन एवं पेंशन)